RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक २३] सोमवार, सप्टेंबर २६, २०१६/आश्विन ४, शके १९३८ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित ३० अगस्त २०१६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No XIX OF 2016.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १९, सन् २०१६।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ५।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१६, २ मार्च २०१६ को प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि ९ मार्च २०१६ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१६ (वि. स. विधेयक क्र. ७ सन २०१६), ६ अप्रैल २०१६ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया था ;

और क्योंकि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र १३ अप्रैल, २०१६ को सत्रावसित होने के

कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात १९ अप्रैल, २०१६ के पश्चात्, प्रवृत्त होने से परिविरत हो जाएगा ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधो का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया था ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसीलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन तथा दूसरी बार जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ (जिसे ..... " उक्त दूसरी बार जारी रहना अध्यादेश" कहा गया है), १८ अप्रैल २०१६ को प्रख्यापित किया था ; सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ७।

और क्योंकि तत्पश्चात, १८ जुलै २०१६ को राज्य विधानमंडल पुनः समवेत हुआ था और भारत के संविधान के अनुच्छेद १९७ के खण्ड (१) के उप-खण्ड (ख) तथा महाराष्ट्र विधान सभा नियम के नियम १४१ के उप-नियम (१) के अधीन यथा उपबंधित उक्त विधेयक, १ ऑगस्ट २०१६ को दूसरी बार संशोधनों के साथ विधान सभा द्वारा पारित हुआ था और तत्पश्चात, विधान परिषद को पारेषित किया गया था ; और उक्त विधेयक २ ऑगस्ट २०१६ को विधान परिषद के समक्ष रखा गया था ;

और क्योंकि ५ ऑगस्ट २०१६ को महाराष्ट्र विधान परिषद के सत्र का सत्रावसान होने के कारण, उक्त विधेयक, महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था और उसमें वह विधेयक प्रलंबित है ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त दूसरी बार जारी रहना अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात २८ ऑगस्ट २०१६ के पश्चात, प्रवृत्त होने से परिविरत हो गया है ;

और क्योंकि उक्त दूसरी बार जारी रहना अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रहना इष्टकर है ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चला रहा है ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त दूसरी बार जारी रहना अध्यादेश के उपबंधां का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित किया है, अर्थात :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, २०१६ कहलाए।

(२) यह २९ अगस्त, २०१६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है, की धारा २ के खण्ड (१४-क) के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :— सन १९६१ का महा २४।

" (१४-क) " कृत्यकारी निदेशक " का तात्पर्य, समिति द्वारा नामनिर्देशित प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है चाहे जो भी नाम से पुकारा जाए ;" ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ ककक में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ७३ **ककक** की, उप-धारा (२) में,—

(क) द्वितीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखे जायेंगे, अर्थात् :—

" परंतु आगे यह कि, समिति, कृत्यकारी निदेशक के रूप में एक व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगी :

परंतु यह भी कि, ऐसी संस्था या संस्थाओं के वर्ग के मामले में, जहाँ संस्था के स्थायी वैतनिक कर्मचारियों की संख्या पच्चीस या अधिक है तो राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे अधिसूचित कर सकेगी, समिति में,—

(एक) जहाँ समिति ग्यारह सदस्यों से अनधिक सदस्यों से गठित है, संस्था के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि ; और

(दो) जहाँ समिति ग्यारह सदस्यों से अधिक तथा इक्कीस से अनधिक सदस्यों से गठित है, संस्था की कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि, शामिल होंगे।

सन १९४७ का ११।

कर्मचारियों के ऐसे प्रतिनिधि, महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम या महाराष्ट्र व्यापार संघ मान्यता तथा अनुचित श्रम प्रथा की रोकथाम अधिनियम, १९७१ के अधीन मान्यताप्राप्त संघ या संघों द्वारा चुने जायेंगे। जहाँ ऐसे मान्यताप्राप्त संघ या अनेक संघ न हो या जहाँ कोई संघ ही न हो या जहाँ संघ मान्यताप्राप्त है या नहीं है समेत ऐसे वादों के संबंध में विवाद है तब, कर्मचारियों के ऐसे प्रतिनिधि विहित रीत्या उनमें से, संस्था के कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे। कोई भी कर्मचारी जो निलंबन के अधीन है, वह इस परंतुक के अधीन समिति के सदस्य के रूप में चयनित या निर्वाचित किये जाने के लिये या निरंतर रहने के लिये पात्र नहीं होगा :

सन १९७२ का महा १।

परंतु यह भी कि, तृतीय परंतुक के उपबंधों के अनुसार, चयनित या निर्वाचित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को समिति की बैठक में हिस्सा लेने का अधिकार होगा लेकिन उसमें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। " ;

(ख) तृतीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

परंतु यह भी कि, सरकार की ओर उसकी शेअर पूंजी के अंशदान वाली संस्था के संबंध में समिति सरकार द्वारा नामित, निम्न दो सदस्यों को भी सम्मिलित करेगी, अर्थात् :—

(एक) सहकारी संस्थाओं के सहायक रजिस्ट्रार से अनिम्न श्रेणी का एक सरकारी अधिकारी, और

(दो) संस्था के कार्य से संबंधित अपेक्षित अनुभव और सरकार द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा, जैसा कि विनिर्दिष्ट करें ऐसी अर्हता रखने वाला एक व्यक्ति :";

(ग) चतुर्थ परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा।

४. मूल अधिनियम की धारा ७३ ग क की, उप-धारा (१) के, खण्ड (छह) में, "७३**क** " अंकों तथा अक्षरों के स्थान में, "७३ **ककक**" अंक तथा अक्षर रखे जायेंगे। सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ गक में संशोधन।

वक्तव्य ।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा.२४) की धारा ७३ ककक, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली सहकारी संस्थाओं की समितियों के गठन के लिए उपबंध करती है।

२. यह देखा गया था कि, संस्थाओं की समितियों पर कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था, जहाँ ऐसी समिति के सदस्यों की संख्या सत्रह से कम थी, वहाँ ऐसी संस्थाओं के कर्मचारियों का हित दांव पर लगा था। यह भी देखा गया था कि, सरकार की ओर से उसकी शेयर पूंजी का अंशदान होनेवाली संस्थाओं में, सरकार साथ ही साथ ऐसी संस्थाओं के हितों की सुरक्षितता की दृष्टि से वहाँ पर ऐसी संस्थाओं के कार्य का अनुभव रखनेवाले सरकारी अधिकारी से अन्य व्यक्ति को नामित करने की जरूरत थी। इसलिये, उक्त अधिनियम की धाराएँ २ और ७३ **ककक** में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया था,—

३. उस प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न है :—

(एक) धारा २ का संशोधन :— उक्त धारा २ के खंड (१४-क) के उपबंध प्रतिस्थापित करने के लिये प्रस्तावित था कि कृत्यकारी निदेशक का तात्पर्य, संस्था के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से होगा।

(दो) धारा ७३ **ककक** का संशोधन .— यह उपबंध करने के लिए प्रस्तावित था,—

(क) समिति पर कृत्यकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए ;

(ख) पच्चीस या उससे अधिक स्थायी वैतनिक कर्मचारी होनेवाले ऐसी संस्था या संस्था के वर्गों की समिति पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए , राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट करेगी ;

(ग) सरकार की और उसकी शेयर पूंजी का अंशदान होनेवाले संस्थाओं के मामले में, संस्था के कार्य का अनुभव रखनेवाली और सरकार द्वारा **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अर्हताएँ धारण करनेवाले किसी सरकारी अधिकारी और अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए है।

(तीन) उक्त अधिनियम की धारा ७३ **ग क** में आनुषंगिक संशोधन करने के लिए भी प्रस्तावित था।

४. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०१६ (सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. ५) २ मार्च, २०१६ को प्रख्यापित किया गया था और उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१६ (सन २०१६ का वि. स. विधेयक क्र. ७), ६ अप्रैल, २०१६ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था ; किंतु उक्त विधेयक, १३ अप्रैल, २०१६ को, महाराष्ट्र विधान परिषद के सत्र का सत्रावसान होने के कारण पारित नहीं हो सका था ।

५. तथापि, राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात १९ अप्रैल, २०१६ के पश्चात, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन परिविरत हुआ होता और उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया था और, इसलिए, १८ अप्रैल, २०१६ को महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन तथा दूसरी बार जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ (सन २०१६ का महा. अध्या. ७) प्रख्यापित किया था ।

६. तत्पश्चात, १८ जुलाई, २०१६ को राज्य विधानमंडल पुनः समवेत हुआ था और भारत के संविधान के अनुच्छेद १९७ के खण्ड (१) के उप-खण्ड (ख) तथा महाराष्ट्र विधान सभा के नियम के नियम १४१ के उप–नियम (१) के अधीन यथा उपबंधित उक्त विधेयक १ अगस्त, २०१६ को दूसरी बार संशोधनों के साथ विधान सभा द्वारा पारित किया था और तत्पश्चात, विधान परिषद को पारेषित किया था ; और उक्त विधेयक २ अगस्त २०१६ को विधान परिषद के समक्ष रखा गया था और ५ अगस्त २०१६ को महाराष्ट्र विधान परिषद के सत्र का सत्रावसान होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था और उसमें वह विधेयक प्रलंबित है।

७. चूंकि १८ जुलै, २०१६ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित, उक्त दूसरी बार जारी रहना अध्यादेश २८ अगस्त २०१६ के पश्चात प्रवर्तित होने से परिविरत हो गया है, और महाराष्ट्र सरकार ने उक्त दूसरी बार जारी रहना अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकार समझा है।

८. चूंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन तथा दूसरी बार जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ (सन २०१६ का महा. अध्या. ७) के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित हुआ है।

मुंबई,
दिनांकित ३० अगस्त, २०१६ ।

चे. विद्यासागर राव,
महारष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,
एस. एस. संधू,
सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.